न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट)

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क) के अंतर्ग

परमिशन वाद संख्या 44 वर्ष 2024

आवेदक—छुटू मॉझी
ग्राम — बॉधडीह टोला मॉझीडीह
थाना — जरीडीह जिला—बोकारो

क्रेता— तारा देवी
ग्राम —बाराडीह
थाना —जरीडीह जिला— बोकारो

आदेश की क्र0 सं0 एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ।
01	02	03

12.07.2024

आदेश

यह वाद आवेदक छुटू मॉझी पिता स्व0 कदरू मॉझी उर्फ कारू मॉझी निवासी ग्राम बॉधडीह टोला मॉझीडीह थाना जरीडीह जिला —बोकारो द्वारा छोटानागपुर काष्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(क)) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवतः—

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
बॉधडीह	11	74	782	32 डी0	32 डी0	कृषि योग्य

को वे अपने आवश्यक कार्य हेतु मो0 20,00,000/— (बीस लाख) रूपये में क्रेता— तारा देवी पति हिमान्सु सोरेन निवास ग्राम बॉधडीह थाना जरीडीह जिला— बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 99/रा0 दिनांक 09.02.2023 के माध्यम से अंचल अधिकारी, जरीडीह से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, जरीडीह के पत्रांक 757 दिनांक 11.07.2024 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:—

01. बिक्रेता एवं केता संथाल जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता का मूल एवं वर्तमान निवास ग्राम बॉधडीह टोला मॉझीडीह थाना जरीडीह जिला बोकारो एवं क्रेता का मूल एवं वर्तमान निवास ग्राम बाराडीह थाना जरीडीह जिला—बोकारो का निवासी है।

02. बिक्री की जाने वाली भूमि सर्वे खतियान में दुला मॉझी वगैरह कौम संथाल के नाम से दर्ज है तथा जमाबन्दी कारू मॉझी , माउ मॉझी पिता सीनु मॉझी के नाम से पंजी—2 के पृष्ठ सं0 42/12 में दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष कारू मॉझी वगैरह के नाम से चल रही है तथा लगान रसीद 2022—23 तक निर्गत है। बिकेता को यह भूमि केवाला द्वारा हासिल है।

03. जमाबंदीधारी रैयत से बिकेता का संबंध पिता—पुत्र का है। बिकी वाली भूमि बिकेता के हक व हिस्से के अन्तर्गत आता है जिसपर बिकेता का दखल कब्जा है।

04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी0सी0एल0 अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है। उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ

प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन केवाला जमीन है तथा जमाबन्दी उनके पिता कदरू मॉझी उर्फ कारू मॉझी के नाम से चल रही है। बिक्री वाली जमीन उसके हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं। बिकेता के द्वारा एक शपथ समर्पित किया गया है जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि मेरे पिता कदरू मॉझी एवं कारू मॉझी दोनों एक ही व्यक्ति थे एवं दोनों के नाम से जाने जाते थे।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के षान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:—

01. विक्रेता— कदरू मॉझी के नाम केवाला की छायाप्रति, कारू मॉझी वगैरह के नाम लगान रसीद की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

02. क्रेता— जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी जरीडीह से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिकेता एवं केता संथाल जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं तथा बिकेता का मूल एवं वर्तमान निवास ग्राम बॉधडीह टोला मॉझीडीह थाना जरीडीह जिला बोकारो एवं क्रेता का मूल एवं वर्तमान निवास ग्राम बाराडीह थाना जरीडीह जिला—बोकारो का निवासी है। हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की केवाला जमीन है, जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक छुटू मॉझी पिता स्व0 कदरू मॉझी उर्फ कारू मॉझी निवासी ग्राम बॉधडीह टोला मॉझीडीह थाना जरीडीह जिला—बोकारो को निम्नांकित भूमि :—

मौजा	खाता न0	प्लॉट न 0	कुल रकबा	बिकी रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
बाधडीह	74	782	32 डी0	32 डी0	पक्की सडक	नीज बिकेता	नीज बिकेता	नीज बिकेता
कुल 32 डी0 (बतीस) डिसमिल जमीन मात्र।								

मो0 20,00,000/— (बीस लाख रूपये) या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनत्म भूमि मूल्यांकित राषि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता— तारा देवी पति हिमान्सु सोरेन निवास ग्राम बाराडीह थाना जरीडीह जिला—बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संषोधित

12.7.24

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

12.7.24

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

Digitally signed by SADANAND MAHTO
Date: 2024.08.22 16:27:32 +05:30
Location: 192.168.45.43